मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का सूचना का अधिकार, 2005 को क्रियान्वित करने के लिये विभागीय मैन्युअल

सूचना का अधिकार, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावशील हो गया है जिसके तहत विभाग में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय गति–विधियों एवं कार्यवाहियों की जानकारी आम जनता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाना है। इस प्रक्रिया के तहत शासन की ओर से अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुसार विभागीय प्रशासनिक ईकाई के स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है। इसके साथ–साथ अपीलीय अधिकारी का प्रावधान भी किया गया है जो इस विषय के अपील मामलों का निराकरण करेंगे। इसकी सारणी निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	अधिकारी का पदनाम	नामांकित पद	अपील अधिकारी
1	मध्यप्रदेश मंत्रालय उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग	लोक सूचना अधिकारी	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग
2	विभागाध्यक्ष (परिवहन आयुक्त, म.प्र.) ग्वालियर उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) मोती महल, ग्वालियर	लोक सूचना अधिकारी	परिवहन आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर

3	म.प्र. सड़क परिवहन निगम (मुख्यालय), भोपाल महाप्रबंधक, म.प्र.सड़क परिवहन निगम हबीबगंज, भोपाल	लोक सूचना अधिकारी	प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क परिवहन निगम, भोपाल
4	समस्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय म.प्र. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मध्यप्रदेश	सहायक लोक सूचना अधिकारी	संबंधित कलेक्टर
5	समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय म.प्र. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी म.प्र.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	संबंधित कलेक्टर
6	समस्त जिला परिवहन कार्यालय म.प्र. जिला परिवहन अधिकारी म.प्र.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	संबंधित कलेक्टर

विभागीय संरचना :

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–213 एवं म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 243 में निहित प्रावधान के अनुसार मोटरयान विभाग का गठन किया गया है। परिवहन विभाग के स्वतंत्र प्रभार में मा. श्री उमा शंकर गुप्ता, राज्यमंत्री जी है जिनके पास उच्च शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का प्रभार भी है। मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, के पद पर श्री एम.के. राय एवं उप सचिव के पद पर श्री हरीसिंह शेखावत दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ है।

विभाग में परिवहन आयुक्त के पद पर श्री एन.के. त्रिपाठी पदस्थ है और उनके कार्यालय में अन्य अधिकारी निम्नानुसार पदस्थ है :–

1. श्री संजीव कुमार सिंह, उपायुक्त (प्रवर्तन)
2. श्री आनंद शर्मा, उपायुक्त (प्रशासन)
3. श्री पी.के. जैन, सहायक परिवहन आयुक्त (वित्त)
4. श्री वीरेन्द्र कुमार अहिरवार, (संलग्न) सहायक परिवहन आयुक्त (विधि)

परिवहन विभाग में 9 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं 13 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा 19 जिला परिवहन कार्यालय स्थापित है। जिनकी सूची निम्नानुसार है :–

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं पंजीयन कोड नम्बर	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं पंजीयन कोड नम्बर	जिला परिवहन कार्यालय एवं पंजीयन कोड नम्बर
01	02	03
01 भोपाल (एम.पी. 04)	01 गुना (एम.पी. 08)	01 भिण्ड (एम.पी. 30)
02 मुरैना (एम.पी. 06)	02 खरगौन (एम.पी. 10)	02 दतिया (एम.पी. 32)
जिला–श्योपुर (एम.पी. 31)	03 धार (एम.पी. 11)	03 शिवपुरी (एम.पी. 33)
03 होशंगाबाद (एम.पी. 05)	04 खण्डवा (एम.पी. 12)	04 दमोह (एम.पी. 34)
जिला–हरदा (एम.पी. 47)	05 मन्दसौर (एम.पी. 14)	05 पन्ना (एम.पी. 35)
04 ग्यालियर (एम.पी. 07)	06 छतरपुर (एम.पी. 16)	06 टीकमगढ़ (एम.पी. 36)
05 इन्दौर (एम.पी. 09)	07 शहडोल (एम.पी. 18)	07 सीहोर (एम.पी. 37)
06 उज्जैन (एम.पी. 13)	जिला–उमरिया (एम.पी. 54)	08 रायसेन (एम.पी. 38)
07 सागर (एम.पी. 15)	08 सतना (एम.पी. 19)	09 राजगढ़ (एम.पी. 39)
08 रीवा (एम.पी. 17)	09 कटनी (एम.पी. 21)	10 विदिशा (एम.पी. 40)
09 जबलपुर (एम.पी. 20)	10 सिवनी (एम.पी. 22)	11 देवास (एम.पी. 41)

	2	
	11 छिन्दवाड़ा (एम.पी. 28) 12 नीमच (एम.पी. 44) 13 बड़वानी (एम.पी. 46)	12 शाजापुर (एम.पी. 42) 13 रतलाम (एम.पी. 43) 14 झाबुआ (एम.पी. 45) 15 बैतूल (एम.पी. 48) 16 नरसिंहपुर (एम.पी. 49) 17 बालाघाट (एम.पी. 50) 18 मण्डला (एम.पी. 51) जिला–डिन्डोरी (एम.पी. 52) 19 सीधी (एम.पी. 53)

ग्वालियर कार्यालय पर राज्य परिवहन प्राधिकार का एक कार्यालय स्थापित है जिसके अध्यक्ष विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम.के. राय है ओर इसके सदस्य परिवहन आयुक्त एवं मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर नामांकित है। प्राधिकार के सचिव उप परिवहन आयुक्त श्री आनंद शर्मा है। राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा अर्न्तराज्यीय एवं अखिल भारतीय परमिट स्वीकृत करने का कार्य संपादित किया जाता है।

ग्वालियर मुख्यालय पर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण भी गठित है जिसको वर्ष 1996 से शासन के पृथक विभाग का दर्जा दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन इस अधिकरण में होता है। अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में श्री सी.एल. व्यास (म.प्र.उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी) पदस्थ है।

<u>परिवहन विभाग के दायित्व</u>

परिवहन विभाग में निम्नानुसार अधिनियम एवं नियम प्रभावशील है जिनके अन्तर्गत विभाग का कार्य संपादित होता है।

<u>विभाग के दायित्व :–</u>

(अ) दायित्व निर्धारक संदर्भ :–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989
3. मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994
4. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991
5. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

(ब) प्रमुख विभागीय दायित्व :–

1. राजस्व संग्रहण
2. केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों के सापेक्षा में वाहनों का पंजीयन अनुज्ञा–पत्रों व अनुज्ञप्तियों का निर्गमन, वाहनों का निरीक्षण, नियमन, निरीक्षण एवं दण्ड आदि अधिरोपित करना।
3. अन्तर्राज्यीय व अन्तर्क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्थाओं/नीतियों का निरीक्षण, परीक्षण एवं समन्वय स्थापित करना।
4. प्रदेश में प्रचलित मोटरयानों के उत्सर्जन से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण की जॉच, रोकथाम तथा पर्यावरण सम्बर्द्धन हेतु अपेक्षित कार्यवाही करना।
5. केन्द्र/राज्य शासन तथा परिवहन संबंधी संस्थाओं की सांख्यिकी आवश्कताओं की पूर्ति करना।

6. जनहितकारी व विकेन्द्रीयकृत योजनाओं/कार्यक्रमों का संरूपण, क्रियान्वयन एवं समयानुसार उनका परिवर्तन व संशोधन।
7. सामाजिक–आर्थिक परिवेश में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़े वर्ग को परिवहन प्रचालन कार्यकलापों से सम्बद्ध एवं प्रोत्साहित कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
8. केन्द्र व राज्य शासन के सामान्य व विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन तथा उनके अनुरूप कार्य निष्पादित करना।

विभाग की सामान्य जानकारी

राजस्व प्राप्तियां एवं बकाया राशि

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

राजस्व प्राप्तियॉ एवं बकाया राजस्व :–

(अ) राजस्व–संग्रहण

विगत पॉच वर्षो में संग्रहित राजस्व की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार रही हैं :–

क्र.	वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉ (करोड़ रूपयों में)	पूर्व वर्ष से वृद्धि/ कमी का प्रतिशत
1	1998–1999	306.90	(+) 2.68
2	1999–2000	321.62	(+) 4.80
3	2000–2001	355.26	(+) 10.46
4	2001–2002	393.25	(+) 10.69
5	2002–2003	435.42	(+) 10.72
6	2003–2004	454.89	–
7	2004–2005	487.27	–
8	2005–2006 (सितम्बर 2005 तक)	237.89	–

विभाग में किये जा रहे कार्यों का विवरण :–

1. मोटरयान का पंजीयन
2. अस्थाई एवं स्थायी अनुज्ञा पत्र का निर्गमन
3. अनुज्ञप्तियॉ का निगर्मन
4. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करना
5. अवैध संचालन की रोकथाम
6. परिवहन कार्यालयों का राजस्व संग्रहण
7. परिवहन चैक पोस्ट पर राजस्व संग्रहण

विभागीय बजट :–

विभाग की बेबसाइट :–

विभाग की बेबसाइट विकसित की जा रही है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. परिवहन विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिये भारत का कोई भी नागरिक सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी को जानकारी देने के लिये आवेदन कर सकता है।
2. आवेदन प्राप्त होने पर सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी आवेदक से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर निश्चित समयावधि में आवेदक को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
3. आवेदन पत्र देते समय आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

4. जिला परिवहन कार्यलय से संबंधित जानकारी इस कार्यालय में नामांकित सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को समयसीमा में ही उपलब्ध कराई जावेगी।
5. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा आवेदन दिया जा सकेगा।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को जानकारी वहां नियुक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को नियमानुसार समयसीमा में उपलब्ध कराई जायेगी।
7. परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदक इस कार्यालय के लिये नियुक्त लोक सूचना अधिकारी श्री आनंद शर्मा, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को आवेदन दे सकेगा।
8. परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबंधित जानकारी यहां नियुक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयसीमा में उपलब्ध कराई जायेगी।
9. राज्य मंत्रालय स्तर पर परिवहन विभाग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये आवेदन विभाग के लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव परिवहन को दिये जा सकेंगे।
10. विभाग के लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव, परिवहन द्वारा समयसीमा सीमा में जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।
11. विभाग के सभी जिला परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन चालन लायसेंस बनाने एवं वाहनों का पंजीयन का कार्य स्मार्ट चिप कंपनी द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से कराया जा रहा है। अतः इस संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित कार्यालय एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय से ली जा सकेगी।

12. लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी प्रदान करने के संबंध में लिये गये किसी भी निर्णय से असंतुष्ट आवेदक अपील अधिकारी जिसका विवरण पूर्व में दिया गया है, के यहां आवेदन किया जा सकेगा।

13. सूचना के अधिकार, 2005 के तहत परिवहन विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, हो तो उसके संबंध में प्रमुख सचिव, परिवहन एवं परिवहन आयुक्त से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।

(एम.के. राय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग